दिनांक 31.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 408/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

आज दिनांक 31.07.2026 को पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में **भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 78वें आर0आर0 (2025 बैच) के Study-Cum-Cultural-Tour हेतु आए 19 प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों** ने **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** से शिष्टाचार भेंट की।

भेंटवार्ता के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए सभी प्रशिक्षु अधिकारियों से क्रमवार परिचय प्राप्त किया तथा उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उनसे संवाद स्थापित किया। जिसमें विभिन्न राज्यों एवं कैडरों के प्रशिक्षु अधिकारी सम्मिलित थे, जिनमें आंध्र प्रदेश एवं केरल से 02-02, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से 02-02, तमिलनाडु, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा, ओडिशा तथा यूनियन टेरिटरी कैडर से 01-01 अधिकारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त भूटान एवं नेपाल से 01-01 प्रशिक्षु अधिकारी भी सम्मिलित हुए।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने अपने सम्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य के समक्ष पुलिसिंग की अपनी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं। यहाँ भीड़ प्रबंधन से लेकर अत्यधिक जनसमूह के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित संचालन तक अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, गत वर्ष आयोजित महाकुंभ के दौरान लगभग एक माह की अवधि में लगभग 60 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। ऐसे आयोजनों का शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसमे उत्तर प्रदेश पुलिस ने दक्षता हासिल की है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने कहा कि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौती अथवा जनसमूह के प्रबंधन में संवाद, धैर्य एवं संवेदनशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभावी पुलिसिंग केवल कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की मनोभावनाओं को समझते हुए शांति, विश्वास एवं समन्वय बनाए रखने का दायित्व भी निभाती है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों की सही समझ एवं समयबद्ध संवाद अनेक संभावित चुनौतियों का प्रारंभिक स्तर पर ही प्रभावी समाधान सुनिश्चित कर सकती है। एक सफल पुलिस अधिकारी वही है जो मानवीय दृष्टिकोण, प्रभावी संचार एवं पेशेवर दक्षता के माध्यम से जनविश्वास को सुदृढ़ बनाए रखते हुए कानून-व्यवस्था की चुनौतियों का शांतिपूर्ण एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करे।

अंत में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा पूछे गए विभिन्न जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

भेंट के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर (आई0टी0) श्री अजीत प्रताप सिंह द्वारा अकादमी की ओर से पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके उपरांत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 श्री के0एस0 इमैन्युअल, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण श्री देव रंजन वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

दिनांक 31.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 409/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोरखपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 31.07.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोरखपुर इकाई** द्वारा अमन कश्यम निवासी मंगल बाजार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर से लोन की सब्सिडी को खाते में भेजने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक राम बहादुर पाल के नेतृत्व में कार्यालय जिला उद्योग एवं उधम प्रोत्साहन केन्द्र कुशीनगर से **कनिष्ठ सहायक शैलेन्द्र कुमार कुशावाहा (जिला उद्योग एवं उधम प्रोत्साहन केन्द्र जनपद कुशीनगर)** पुत्र मंशीलाल निवासी ग्राम शेखपुर थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 31.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 410/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल बरामद**

दिनांक 31.07.2026 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू निवासी पंजाबीयान कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 31.07.2026 को थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर श्रीजी पेट्रोल पम्प के पास से 02 अभियुक्तों 1—जीशान 2—मोनू उर्फ बब्बन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जीशान के विरूद्ध जनपद हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग, अभियुक्त मोनू उर्फ बब्बन के विरूद्ध जनपद हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के लगभग डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जीशान निवासी कशेरूआ थाना गजरौला जनपद अमरोहा, हालपता–जाकिर कालोनी थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ।

2–मोनू उर्फ बब्बन निवासी साहबपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–चोरी की 09 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 126 ग्राम अवैध चरस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये बरामद**

दिनांक 30.07.2026 को थाना रूपईडीहा व एसएसबी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेपालगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल बार्डर की तरफ जाने वाले रास्ते पिलर संख्या 651/2 के पास से अभियुक्त चित्र बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 126 ग्राम अवैध चरस, 01 मोबाइल फोन, नगद रूपये बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चित्र बहादुर निवासी जुनीचांदे गांव पालिका वार्ड नं0–6 जाजरकोट, नेपाल।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 126 ग्राम अवैध चरस।

2–01 मोबाइल फोन।

3–नगद रूपये।

जनपद उन्नाव/थाना बारासगवर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 कुन्तल 51 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **5550/–रूपये नगद**
- **01 ट्रक**
- **01 कार**
- **06 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 30.07.2026 को थाना बारासगवर व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1–राहुल 2–विशाल दास 3–अभिषेक 4–रामसिंह 5–अरविन्द 6–विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 कुन्तल 51 किलोग्राम अवैध गांजा, 5550/–रूपये नगद, 01 ट्रक, 01 कार, 06 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी ग्राम जगतपुर भिचकौरा थाना लालगंज जनपद रायबरेली।

2–विशाल दास निवासी रविन्द्रनगर थाना ट्रांजिस्ट कैम्प उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

3–अभिषेक निवासी घनश्यामखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हालपता–इन्द्रानगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

4–रामसिंह निवासी भजनखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

5–अरविन्द निवासी घनश्यामखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

6–विशाल निवासी ग्राम मनिकापुर थाना बिहार जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 कुन्तल 51 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–5550/–रूपये नगद।

3–01 ट्रक।

4–01 कार।

5–06 मोबाइल फोन।

जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 148 ग्राम अवैध मदाक पदार्थ (METAMFETAMINE/M-FETAMINE/ MEFEDRON) (MD)**
- **04 मोबाइल फोन**
- **02 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 31.07.2026 को थाना सफदरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पण्डरा तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–सारिक 2–अयान 3–अबुसहमा 4–मो0आसिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 148 ग्राम अवैध मदाक पदार्थ **(METAMFETAMINE/M-FETAMINE/ MEFEDRON) (MD)**, 04 मोबाइल फोन, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सारिक निवासी ग्राम चदना कटरा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

2–अयान निवासी ग्राम फैजुल्लागंज थाना जहाँगीराबाद जनपद बाराबंकी।

3–अबुसहमा निवासी ग्राम वीआईपी सिटी नबीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

4–मो0 आसिफ निवासी ग्राम पिलखुआ थाना बरदह जनपद आजमगढ़, हालपता ग्रीन गार्डेन बेरी छिपयाना जनपद गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 148 ग्राम अवैध मदाक पदार्थ **(METAMFETAMINE/M-FETAMINE/ MEFEDRON) (MD)**।

2–04 मोबाइल फोन।

3–02 दो पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना चिलकाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–भुट्टू 2–अमजद को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना मधुबन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मधुबन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376ए, बी भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना को0 पडरौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना को0 पडरौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना बांगरमऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मोवीन को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————